

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम	
	<p>सूरकाराम बनाम बाबू लाल कौं</p> <p>दावा बाबत इस्तकरारहक (इन्हाज दुरुस्ती)</p> <p>कादी की ओर से श्री रामश्री गृहा एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरारहक (इन्हाज दुरुस्ती) का पेश किया अवलोकन किया गया। दावा दर्ज-रजिस्टर कर सम्मन विकसित प्रतिवादी गण जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.7.10 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (कौंभी)</p>	<p>11</p> <p>3286-87 6/7/10</p>
137/10	<p>कादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न. 1 व 2 बाबत दरपना उपस्थित नहीं। अतः इनके विकसित एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बास्ते साक्ष्य कादी दिनांक 3-8-10 को पेश हो।</p>	
37/10	<p>वादी वकील उपस्थित। वादी साक्ष्य उपस्थित नहीं। बास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 7/9/10 को पेश हो।</p>	
29/10	<p>कार एच. डी. अचलत कार्य रेखागत रसा था। प. 0. सा. मुगल पर पधारे हैं। गानापुरादि दि. 1/10/10 को पेश हो।</p>	
11/10	<p>वादी वकील उपस्थित। बास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 29/10/10 को पेश हो।</p>	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक

फर्द अहकाम

18.6.15

सरकारामाजी

पत्रावली आज लोक अदालत रिपोर्ट
 महत्वा में पेश हुई। वादी उपस्थित
 वादी ने वादपत्र के समर्थन में कथन
 करते हुए दावा इन्हाज दुकली के लिये
 लु डिब्री कनेका कथन किया। तहसील
 टोडाधीम की रिपोर्ट का अवलोकन कि
 गया। रिपोर्ट में स्पष्ट झूठ कथन किया
 गया है कि जमाबंदी संवत् 2067-70
 के अदालत खाल नं. 36 में काबूलनाम, रामनि
 पि० रामनारायण जाति मीना पि० महत्वा
 खातेवा कारतकार है ख. नं. 206/442,
 207, 208, 209, 210, 212, 213, 226, 227,
 1228 कुल फिर्मा 10 कुल रकबा 2.55 है
 मात्रा 16 दिनांक 3.11.72 से जारी है। यह
 भूमि जलिये विक्रय फा खरीद की
 गई है। भूमि पैलूक नहीं है वर्णित
 भूमि की खातेदारी दिये जाने के योग्य
 नहीं होने के कारण दावा शुद्ध योग्य
 नहीं है। तहसीलद्वारा की रिपोर्ट से वादी
 को अवगत कराया गया। वादी ने यह


उप जिला कलेक्टर
 बडेाधीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

स्वीकार किया कि भूमि पूर्व स्वतन्त्र जगपाल गजराज पिंपोच्या भीमा निष्पत्ती से खरीद की वी उपरोक्त विकरण से स्पष्ट है कि भूमि विक्रय पत्र से खरीद की गई है जिसमें कल्पित रामरायण दर्ज है। जिसे दावा के माध्यम से हस्तक्षेप जाता उचित नहीं है।

अतः दावा का दावा बतल इत्तफशरहक (इन्हाज हुकतो) ग्राम कुटीला की भूमि सं. नं. 206/442, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 226, 227, 228, कुल गिरा 10 कुल रकबा 2.55 हे० में 1/2 हिस्से में इन्हाज रामनिवास के स्यात पर बाबूलाल शिंदे विलासी घोषित कसे बतल खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल सुगर होकर नभ्यर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


 उप जिला कलक्टर
 टोडाभीम (करौली)